169

१८- २१/ सारा /डिएसडब्लु/ २०१९ -२०(पिएफ) / 3986
F. No. 18-21/SARA/DSW/2019-20(PF)
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
समाज कल्याण निदेशालय
**********

27/12

पोर्ट ब्लेयर दिनांक 2022

## प्रेस विज्ञप्ति

सामाजिक कल्याण निदेशालय के तहत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए) इन द्वीपों में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्य का समन्वय, निगरानी और विकास करने, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर सूचना और जागरूकता का प्रसार करने के लिए एक इकाई के रूप में कार्य कर रही है।

दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 35 (बी) के अनुसार, राज्य सरकार राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए) की एक शासी निकाय की स्थापना करेगी, जिसकी अध्यक्षता गोद लेने से संबंधित राज्य सरकार के विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव करेंगे।

दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 35 (डी) के अनुसार राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए) के एक शासी निकाय का गठन करने के लिए, सदस्य के रूप में बाल कल्याण में शामिल नागरिक समाज से एक सदस्य, समाज कल्याण विभाग, **अंडमान तथा निकोबार** प्रशासन प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से आवेदन आमंत्रित करता है जो बाल विकास या बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम सात साल से काम कर रहे हैं लेकिन बच्चों की कोई संस्था नहीं चला रहे हैं या उसका प्रबंधन नहीं कर रहे हैं।

आवेदन समाज कल्याण के निदेशक, गोलघर, पिन -744102 को संबोधित किया जाना चाहिए और 10 दिनों के भीतर या तो डाक से या व्यक्तिगत रूप से या sara4andaman@gmail.com की मेल आईडी पर ई-मेल के माध्यम से विभाग तक पहुंच जाना चाहिए।

निदेशक ( समाज कल्याण विभाग)

को कॉपी:-

1. निदेशक, दूरदर्शन, पोर्ट ब्लेयर को दीप समाचार में समाचार प्रसारित करने के अनुरोध के साथ।
2. मुख्य संपादक, द डेली टेलीफोन, पोर्ट ब्लेयर को डेली टेलीग्राम में समाचार प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ
3. समाचार संवाददाता, ऑल इंडिया रेडियो, पोर्ट ब्लेयर को प्रादेशिक समाचार में समाचार प्रसारित करने के अनुरोध के साथ।
4. नोडल अधिकारी (आईटी), समाज कल्याण निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन को इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश के साथ।

निदेशक (समाज कल्याण विभाग)

**F. No. 18-21/SARA/DSW/2019-20(PF)/3986**

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

**ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION**

समाज कल्याण निदेशालय

**DIRECTORATE OF SOCIAL WELFARE**

**Port Blair Dated** 27/12/2022

**PRESS RELEASE**

State Adoption Resource Agency (SARA) under Directorate of Social Welfare is functioning in these Islands as a unit to coordinate, monitor and develop the work of Adoption Program, disseminating information and awareness on Adoption Process.

As per **Regulation 35 (b) of Adoption Regulations, 2022**, the State Government shall set up a Governing Body of the State Adoption Resource Agency (SARA) which shall be chaired by Principal Secretary or Secretary of the Department of the State Government dealing with adoption matters.

In order to constitute a Governing Body of **State Adoption Resource Agency (SARA)** as per **Regulation 35(d) of Adoption Regulations, 2022,** with One member from the civil society involved in child welfare as Member, the Department of Social Welfare, A & N Administration, invites applications from representatives of reputed non-governmental organizations who have been working in the area of child development or child protection for a minimum period of seven years but not running or managing any children's institution.

The application should be addressed to the **Director of Social Welfare, Goalghar, PIN-744102** & should reach the Department within 10 days either by post/in person or through e-mail in the mail ID of sara4andaman@gmail.com.

**Director (SW)**

Copy to:-

1. The Director, Doordarshan, Port Blair with the request to telecast the news items in Deep Samachar.
2. The Chief Editor, The Daily Telegram, Port Blair with the request to publish the news items in the Daily Telegrams
3. The News Correspondent, All India Radio, Port Blair with the request to broadcast the news items in Pradeshik Samachar.
4. Nodal Officer (IT), Directorate of Social Welfare, A & N Admn, with the direction to upload the same in the website of the Department.

**Director (SW)**